न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपीडी/टीए/4365/2002/भरतपुर

1 निहालसिंह पुत्र किशनलाल
2 लच्छी पुत्र किशनलाल सभी जाति जोगी निवासी ग्राम बुढवार तहसील बयाना जिला भरतपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

पूरना पुत्र गोपाली जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुढवार तहसील बयाना

प्रत्यर्थी

(2) अपीडी/टीए/4366/2002/भरतपुर

1 निहालसिंह पुत्र किशनलाल
2 लच्छी पुत्र किशनलाल सभी जाति जोगी निवासी ग्राम बुढवार तहसील बयाना जिला भरतपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 लालाराम पुत्र रामचन्द
2 देवीसिंह पुत्र लालाराम
3 तेजसिंह पुत्र लालाराम
4 कुमरसिंह पुत्र लालाराम
5 विशनसिंह पुत्र लालाराम
6 श्रीभान पुत्र देवीसिंह
7 कमल पुत्र बृजे
8 जगन्नाथ पुत्र कमल
9 सुगर पुत्र कमल
10 रमेश पुत्र कमल
11 कप्तान पुत्र कमल
12 मटरे पुत्र गोपाली
13 पुन्ना पुत्र गोपाली
14 पदमसिंह पुत्र गोपाली समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुढवार तहसील बयाना जिला भरतपुर

प्रत्यर्थीगण

(1) **अपीडी/टीए/4365/2002/भरतपुर**
(2) **अपीडी/टीए/4366/2002/भरतपुर**
(3) **अपीडी/टीए/4367/2002/भरतपुर**
(4) **अपीडी/टीए/4368/2002/भरतपुर**

<u>(3) अपीडी/टीए/4367/2002/भरतपुर</u>

1 निहालसिंह पुत्र किशनलाल
2 लच्छी पुत्र किशनलाल सभी जाति जोगी निवासी ग्राम बुढवार तहसील बयाना जिला भरतपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

लालाराम पुत्र रामचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुढवार तहसील बयाना

प्रत्यर्थी

<u>(4) अपीडी/टीए/4368/2002/भरतपुर</u>

1 निहालसिंह पुत्र किशनलाल
2 लच्छी पुत्र किशनलाल सभी जाति जोगी निवासी ग्राम बुढवार तहसील बयाना जिला भरतपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 लालाराम पुत्र रामचन्द
2 देवीसिंह पुत्र जलालाराम
3 तेजसिंह पुत्र लालाराम
4 कुमरसिंह पुत्र लालाराम
5 विशनसिंह पुत्र लालाराम समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुढवार तहसील बयाना जिला भरतपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः श्री खडगसिंह वकील अपीलार्थीगण
श्री ओ.एल.दवे वकील प्रत्यर्थीगण

(1) **अपीडी/टीए/4365/2002/भरतपुर**
(2) **अपीडी/टीए/4366/2002/भरतपुर**
(3) **अपीडी/टीए/4367/2002/भरतपुर**
(4) **अपीडी/टीए/4368/2002/भरतपुर**

निर्णय

दिनांकः.18.6.2018

उक्त चारों अपीले धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या क्रमशः79/2001,80/2001, 81/2001 एवं 82/2001 में पारित निर्णय23.7.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. चारों अपीलों में विवाद की विषयवस्तु, विवादित आराजीयात, पक्षकार एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने से दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना स्वीकार कर एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णीत की जा रही हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, बयाना के न्यायालय में एक वाद संख्या 142/98 उनवानी लालाराम पुत्र रामचन्द्र कौम गूजर बनाम निहाल व अन्य घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम बुढवार के बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त आराजी पर वादी सम्वत 2012 के पूर्व से निरन्तर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर वादी स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गया। प्रतिवादी व उसके पिता किशनलाल का इस आराजी से कोई संबंध नहीं रहा है परन्तु वह चालाक किस्म का इंसान होने से पटवारी हल्का से साज कर स्वंय को खातेदार व वादी को शिकमी काश्तकार दर्ज करा दिया। यदि वादी को शिक्मी काश्तकार पाया जावे तो अधिनियम की संशोधित धारा 19(1-एए) के प्रावधानों के अनुसार वादी स्वतः खातेदार बन जाता है। अतः वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी निहाल आदि ने जबाबदावा प्रस्तुत किया एवं वाद का खण्डन किया। इसी आराजी खसरा नम्बर 57 के संबंध में एक वाद अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत निहालसिंह वगैरा ने लालाराम वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 143/98 दर्ज हुआ एवं वादी निहालसिंह ने स्वंय को खातेदार काश्तकार होना एवं प्रतिवादी लालाराम वगैरा द्वारा हस्तक्षेप की प्रार्थना के साथ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की इस्तदुआ की। विचारण न्यायालय ने इन दोनों दावों को कन्सोलीडेड करके निर्णय दिनांक 26.2.2001 से वाद संख्या 142/98 लालाराम बनाम निहाल स्वीकार कर डिक्री कर दिया एवं वाद संख्या 143/98 खारिज कर दिया। इनके विरूद्ध निहालसिंह वगैरा ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,

(1) **अपीडी/टीए/4365/2002/भरतपुर**
(2) **अपीडी/टीए/4366/2002/भरतपुर**
(3) **अपीडी/टीए/4367/2002/भरतपुर**
(4) **अपीडी/टीए/4368/2002/भरतपुर**

भरतपुर के न्यायालय में अपील संख्या 81/2001 व 82/2001 प्रस्तुत की जो उनके निर्णय दिनांक 23.7.2002 से खारिज कर दी गई।

4. इसी प्रकार एक वाद संख्या 145/98 उनवानी पूरना बनाम निहाल आदि अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत ग्राम बुढवार स्थित आराजी खसरा नम्बर 52(0.03), 53(0.04) व 56(1.04) के संबंध में प्रस्तुत कर स्वंय को खातेदार काश्तकार होना एवं सम्वत 2012 से पूर्व से खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त चला आ रहा है जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर वादी स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गया। प्रतिवादी व उसके पिता किशनलाल का इस आराजी से कोई संबंध नहीं रहा है परन्तु वह चालाक किस्म का इंसान होने से पटवारी हल्का से साज कर स्वंय को खातेदार व वादी को शिकमी काश्तकार दर्ज करा दिया। यदि वादी को शिक्मी काश्तकार पाया जावे तो अधिनियम की संशोधित धारा 19(1-एए) के प्रावधानों के अनुसार वादी स्वतः खातेदार बन जाता है। अतः वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी निहाल आदि ने जबाबदावा प्रस्तुत किया एवं वाद का खण्डन किया। इन्हीं आराजीयात के संबंध में निहालसिंह वगैरा ने एक वाद संख्या 144/98 (36/96) अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर स्वंय को खातेदार काश्तकार होना एवं प्रतिवादीगण लालाराम वगैरा द्वारा हस्तक्षेप किये जाने से उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावों एवं जबाबदावों के आधार पर तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 26.2.2001 से वाद संख्या 145/98 उनवानी पूरना बनाम निहालसिंह स्वीकार कर डिक्री कर दिया एवं वाद संख्या 144/98 खारिज कर दिया। इनके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में अपील संख्या 79/2001 एवं 80/2001 प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 23.7.2002 से उक्त दोनों अपीले खारिज कर दी।

5. भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने उक्त चारों अपीले इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत है। धारा 19(एए) अधिनियम के अन्तर्गत एक निश्चित अवधि में आवेदन करने पर ही मुआवजा राशि देकर ही खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं। वर्तमान

(1) अपीडी/टीए/4365/2002/भरतपुर
(2) अपीडी/टीए/4366/2002/भरतपुर
(3) अपीडी/टीए/4367/2002/भरतपुर
(4) अपीडी/टीए/4368/2002/भरतपुर

प्रकरण में वाद निर्धारित अवधि बाद प्रस्तुत किया गया है जिससे धारा 19(एए) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। घोषणा के वादों के वादी लालाराम एवं पूरना द्वारा स्वंय को विवादित भूमि पर सम्वत 2012 के पूर्व से काबिज काश्त होना कथन किया गया है परन्तु इस तथ्य को साबित नहीं कराया गया है। वादीगण ने एक तरफ शिक्मी काश्तकार की हैसियत से खातेदार घोषित करने की प्रार्थना पत्र की है वहीं दूसरी ओर एडवर्स पजेशन होना कथन कर खातेदारी क्लेम की है। जबकि उक्त दोनों प्ली एक साथ नहीं ली जा सकती है। दिनांक 31.12.69 को प्रत्यर्थी शिकमी काश्तकार दर्ज नहीं है जिससे उसे खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अपीलार्थीगण विवादित भूमि के अभिलेखीय खातेदार काश्तकार हैं एवं काबिज है तथा प्रत्यर्थीगण जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिससे खातेदार के हितों की रक्षा हेतु प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है। अतः चारों अपीले स्वीकार की जावे।

7. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि पर प्रत्यर्थीगण सम्वत 2012 के पूर्व से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा सम्वत 2015 से बतौर शिक्मी दर्ज चले आ रहे हैं। अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। धारा 19(एए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्यर्थीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। दिनांक 31.12.69 को प्रत्यर्थीगण विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त थे तथा वाद के जरिये वादीगण खातेदारी अधिकारों का अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। विचारण न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन कर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय समवर्ती निर्णय पारित किया है जिससे आदेश 41 नियक 31 सी.पी.सी. के प्रावधानों का उल्लंघन होना नहीं माना जा सकता। विवादित आराजीयात पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त होना किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायायलों के समवर्ती निर्णय है जिनमें इस द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अतः उक्त चारों अपीले खारिज की जावें। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में 1988 आर.आर.डी. पेज 585, 2009 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 385, 1980 आर.आर.डी. पेज 750, 2003 आर.बी.जे. पेज 259 एवं 1997 आर.बी.जे. पेज 139 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

(1) अपीडी/टीए/4365/2002/भरतपुर
(2) अपीडी/टीए/4366/2002/भरतपुर
(3) अपीडी/टीए/4367/2002/भरतपुर
(4) अपीडी/टीए/4368/2002/भरतपुर

8. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

9. विचारण न्यायालय ने चारों ही प्रकरणों में विवादित आराजीयात पर पूरना एवं लालाराम वगैरा का कब्जा काश्त बतौर शिक्मी सम्वत 2015 से होना राजस्व अभिलेख से साबित होने के आधार पर तथा उनका एडवर्स पजेशन होना मानते हुए उन्हें खातेदार काश्तकार घोषित किया है तथा विवादित आराजीयात पर अपीलार्थी निहालसिंह वगैरा का कब्जा काश्त नहीं होना एवं वे खातेदार नहीं होने से उनका स्थाई निषेधाज्ञा के वाद खारिज किये है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी समवर्ती निर्णय पारित करते हुए निहालसिंह की अपीले खारिज की हैं।

10. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2015 से 2018 में किशनलाल वल्द नोनीनाथ जोगी को खातेदार दर्ज किया हुआ है तथा काश्त पूरना पुत्र गोपाल व लालाराम की दर्ज है तथा शिकमी का इन्द्राज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022, 2023 से 2026 व जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 में शिक्मी साल 16 दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रत्यर्थीगण विवादित आराजीयात पर लगातार शिक्मी काश्तकार के रूप में काबिज काश्त हैं।

11. आर.आर.डी. 1988 पेज 585 में राजस्व मण्डल की माननीय खण्ड पीठ ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि यदि शिक्मी काश्तकार धारा 19(2) अधिनियम में अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों हेतु निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं किया गया हो तो वह नियमित दावा प्रस्तुत अनुतोष प्राप्त कर सकता है। आर.बी.जे.(10) 2003 पेज 260 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति जो राजस्व अभिलेख में दिनांक 31.12.69 को खातेदार खुदकाश्त अथवा सब टिनेन्ट दर्ज है वह धारा 19(1-एए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी आर.बी.जे.(4) 1997 पेज 139 में यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया है। आर.आर.डी. 1980 पेज 750 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि समवर्ती निर्णय निष्कर्ष में द्वितीय अपील के स्तर पर तथ्यों के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

12. वर्तमान प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रत्यर्थीगण सम्वत 2015 से लगातार शिक्मी काश्तकार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज चले आ रहे हैं तथा काबिज होना साबित है। ऐसी स्थिति में दिनांक 31.12.69 को प्रत्यर्थीगण का कब्जा बतौर शिक्मी

(1) अपीडी/टीए/4365/2002/भरतपुर
(2) अपीडी/टीए/4366/2002/भरतपुर
(3) अपीडी/टीए/4367/2002/भरतपुर
(4) अपीडी/टीए/4368/2002/भरतपुर

काश्तकार होना साबित है। जिससे वे धारा 19(1-एए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार घोषित किये जाने योग्य हैं। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। ऐसी स्थिति में हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं उक्त चारों अपीले खारिज करना उचित समझते हैं।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त चारों अपीले खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.7.2002 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य